सार-समाचार

योग व जागरूकता कार्यक्रम हुआ

अजमेर । तालुका विधिक सेवा समिति केकड़ी द्वारा हार्टफुलनेस संस्था तथा महिला जन अधिकार समिति के संयुक्त तत्वावधान में योग तथा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य आमजन के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। योग के संबंध में जानकारी प्रदान कर उन्हें स्वस्थ्य जीवनशैली की ओर प्रेरित करना रहा। कार्यक्रम में हार्टफुलनेस संस्था के प्रतिनिधि गिरीश गुप्ता ने मानव जीवन में योग के महत्व के बारे में बताया। प्रशिक्षक मनीष गहलोत ने उपस्थित व्यक्तियों को मेडिटेशन करवाया। सभी को दैनिक जीवन में कुछ समय मेडिटेशन करने के लिए प्रेरित किया। तालुका विधिक सेवा समिति केकड़ी के अधिकार मित्र दिलखुश साहु ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की जनकल्याणकारी योजनाओं, राष्ट्रीय लोक अदालत और बाल विवाह रोकथाम की जानकारी से अवगत कराया। इस अवसर पर स्वयं सेवक गजराज शर्मा, ब्रांक संसाधन व्यक्ति रणजीत सिंह केसावत, महिला जन अधिकार समिति से प्रतिनिधि सिल्वेस्टर एरियल, प्रधान पंचायत समिति केकड़ी होनहार सिंह राठौड़, सहायक विकास अधिकारी महेन्द्र सिंह राठौड़ ने भी कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

हाथों-हाथ जारी हुई पेंशन, मिली राहत

अजमेर, (कासं)। जिला स्तरीय जनसुनवाई एवं सतर्कता समिति की बैठक का आयोजन गुरुवार को जिला कलैक्टर लोक बन्धु की अध्यक्षता में किया गया। जनसुनवाई का आयोजन गुरूवार को कलेक्ट्रेट स्थित डीओआईटी वीसी रूम में हुआ। इसमें जिला कलैक्टर लोक बन्धु ने 91 प्रार्थियों के अभाव अभियोग सुने। जन सुनवाई में अतिक्रमण, सड़कों की मरम्मत, पट्टा, रास्ता खुलवाने, पेंशन एवं पेयजल के सम्बन्ध में प्राप्त समस्याओं के निस्तारण के लिए निर्देशित किया गया। जनसुनवाई की मध्य सचिव सुधांशु पंत द्वारा वीसी के माध्यम से मॉनिटरिंग की गई। सम्भागीय आयुक्त महेश चन्द्र शर्मा भी उपस्थित रहे। जिला कलैक्टर लोक बन्धु ने कहा कि प्रशासन द्वारा जनसुनवाई के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की गई है। इसके अन्तर्गत प्रथम गुरूवार को ग्राम पंचायत, द्वितीय गुरूवार को उपखण्ड तथा तृतीय गुरूवार को जिला स्तर पर जनसुनवाई होती है। जनवरी माह के तृतीय गुरूवार को जिला स्तरीय जन सुनवाई आयोजित हुई। अजमेर जिले की जन सुनवाई कलेक्ट्रेट स्थित डीओआईटी वीसी रूम में हुई। इसमें 91 प्रकरण प्राप्त हुए। इन प्रकरणों को निस्तारण के लिए सम्बन्धित विभागों को अग्रेसित किया गया।

'दुग्ध पालकों की सेवा में तत्पर रामचंद्र चौधरी'

अराई । अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी को फैलोशिप अवार्ड से सम्मानित होने पर अरांई जॉन के दूध संचालको जोरदार स्वागत अभिनंदन किया। इस अवसर बस स्टैंड स्थित राम्द्वार से आस पास से आए गांव के किसान एवं दूध पालकों ने खुली जीप में डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मूली को जुलूस के साथ साथ डीजे की धुन पर गुलाब के फूलों से पुष्प वर्षा करते हुए। गुलानिया पैराडाइज पर समारोह स्थल पर लेकर आए। डेयरी अध्यक्ष चौधरी ने पशुपालको एवं किसानो का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम में राजेंद्र राठौड़ एंड पार्टी ने डांस के साथ तेजाजी महाराज के गीतों के साथ मारवाड़ी गायन नृत्य के साथ मारवाड़ी गायन नृत्य के साथ प्रस्तुत दी। संचालकों के द्वारा 51 किलो की माला से डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी उनकी धर्म पत्नि मूली देवी का जोरदार स्वागत किया। डेयरी अध्यक्ष ने कहा कि आप सभी की मर्जी से छः बार डेयरी अध्यक्ष बना। अजमेर डेयरी पर 5 लाख लीटर का उत्पादन हो रहा चौधरी ने कहा कि 1 मई से दूध का भाव प्रति फेट बढ़ाने के आदेश दे दिए हैं। डेयरी के द्वारा गिर गाय के बछड़ी को सीमन उपलब्ध करवाया। इस अवसर पर पुर्व जिला परिषद सदस्य जसराज चौधरी, पुर्व प्रधान रामनिवास किराडिया ने पशुपालको को संबोधित किया। इस मौके पर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सत्यनारायण बटेसर, राजेंद्र जेवलिया, डेयरी डायरेक्टर एवं ढसुक पूर्व सरपंच भागचंद घायल, डेयरी डायरेक्टर पूर्व सरपंच किशन लाल कटसूरा, हरिराम गिला व कैलाश सेन सहित सभी किसान एव दूध उत्पादक उपस्थित थे मंच संचालन हरिराम खिवाडिया ने किया ।

एफएसएसएआई fssai भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण Food Safety and Standards Authority of India

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

सत्यमेव जयते

क्या आप खाद्य सुरक्षा संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं?

आइए उन्हें हल करने में आपकी सहायता

करें अपनी शिकायत fssat पर दर्ज

fssai

खाद्य सुरक्षा कनेक्ट ऐप

गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से 'फूड सेफ्टी कनेक्ट' ऐप डाउनलोड करें या क्यूआर कोड स्कैन करें

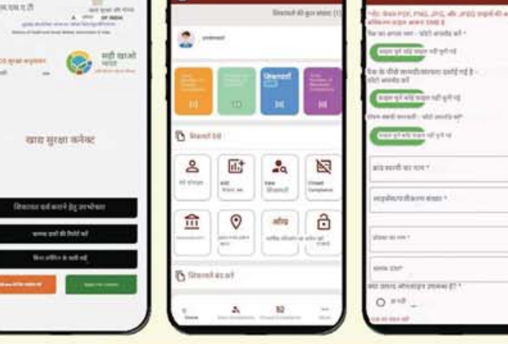

अन्य सुविधाओं

- भ्रामक दावों की रिपोर्टिंग
- छोटे व्यवसायों के लिए पंजीकरण हेतु आवेदन की सुविधा
- खाद्य व्यवसायों की खोज/सत्यापन की सुविधा
- खाद्य व्यवसायों के लिए त्वरित लिंक
- एफएसएसएआई के अपडेट/घटनाएं/प्रेस विज्ञप्ति

खाद्य सुरक्षा कनेक्ट पोर्टल

https://foscos.fssai.gov.in/consumergrievance पर भी उपलब्ध है

अधिक जानकारी के

लिए: FoSCOS [foscos.fssai.gov.in] पर जाएं

FSSAI की हेल्पलाइन @1800112100 पर सुबह 7:00 बजे से रात 11:00 बजे तक कॉल करें

कृपया helpdesk-foscos@fssai.gov.in पर लिखें

सीबीसी 17163/12/0005/2526

एफएसएसएआईइंडिया+ fssai_safefood fssaiindia में fssai_इंडिया

ईडी की कार्यवाही के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन

- कलेक्ट्रेट पर फूंका प्रधानमंत्री का पुतला

अजमेर, (कासं)। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा चार्जशीट दायर किए जाने के विरोध में गुरुवार को अजमेर शहर कांग्रेस कमेटी ने प्रदर्शन किया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष विजय जैन के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता गांधी भवन पर एकत्र हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला जलाया।

प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेता रैली के रूप में मुख्य डाकघर पहुंचे,जहां डाक घर के गेट बंद कर विरोध जताया गया। प्रदर्शन के दौरान कुछ समय के लिए सड़क जाम भी किया गया,जिससे यातायात प्रभावित हुआ। इसके बाद रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री का पुतला फूंका। कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया।

शहर अध्यक्ष विजय जैन के नेतृत्व में गुरुवार को गांधी भवन चौराहे से नारेबाजी करते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है और विपक्षी नेताओं को डराने के लिए ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों का राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है।

इस अवसर पर विजय जैन ने कहा कि जिस केस में एक रुपए का लेनदेन नहीं हुआ, उसमें भी गांधी परिवार को फंसाने की साजिश रची जा रही है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस इसका हर स्तर पर विरोध करेगी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह रलावता ने कहा कि देश में लोकतांत्रिक मर्यादाएं समाप्त की जा रही हैं। संवैधानिक संस्थाएं अब सरकार के इशारों पर काम कर रही हैं।

उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से जिन 122 नेताओं पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई हुई है, उनमें से 99 प्रतिशत कांग्रेस से जुड़े हैं। प्रवक्ता अंकुर त्यागी ने कहा कि भाजपा कांग्रेस के संघर्ष और विचारधारा को खत्म करना चाहती है लेकिन जनता उनकी मंशा भांप चुकी है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार विपक्ष को दबाने की कोशिश बंद नहीं करती तो देशभर में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे।

रसद विभाग ने किए 3 सिलैण्डर जब्त

अजमेर,(कासं)। रसद विभाग द्वारा घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों के अवैध उपयोग की सूचना पर घरेलू गैस सिलेण्डरों की धरपकड़ का अभियान चलाया गया। जांच दल द्वारा गुरूवार को 3 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर जब्त किए गए। जिला रसद अधिकारी रतन कौर ने बताया कि मिलिट्री स्कूल के सामने जयपुर रोड़ पर कांन जी कचौरी, सेन्ट्रल जेल के सामने श्याम स्वीट्स एवं श्री बाबा भोजनालय से एक-एक घरेलू एलपीजी सिलेण्डर जब्त किए गए।

आम सूचना

मेरे पिता रामकरण पुत्र हरलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम जोरावरपुरा की मृत्यु दिनांक 11.05.2006 को मेरे निवास स्थान पर ग्राम जोरावरपुरा में हो गई थी। जिसका पूर्व में इन्द्राज ग्राम पंचायत गोठियाना में नहीं करवाया था। अब मैं मेरे पिताजी रामकरण बैरवा का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अरांई तहसील कार्यालय में आवेदन किया है। मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने बाबत जिस किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो 7 दिन में मय दस्तावेज के साथ अरांई तहसीलदार के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें। बाद मियाद कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

प्रार्थी: शिवराज बैरवा पुत्र रामकरण बैरवा निवासी ग्राम जोरावरपुरा तहसील अरांई (अजमेर)

आम सूचना

मेरे पक्षकार श्री शिवराज परसोया पुत्र श्री किशनाराम परसोया, जाति रेंगर, निवासी ढाणी पुरोहितान, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर की ओर से सर्व साधारण आम जनता को सूचित करता हूं कि मेरे पक्षकार की पुत्री पुष्पा परसोया पुत्री श्री शिवराज परसोया ने समाज के रीति रिवाज व हिन्दू धर्म के विरूद्ध जाकर मेरे पक्षकार की बिना सहमति से रिश्ते में भाई से विवाह कर लिया है, जो कि एक भाई-बहन के रिश्ते को कलंकित कर दिया गया है। इस कारण मेरे पक्षकार की सामाजिक प्रतिष्ठा को आघात लगा है, व मेरे पक्षकार ने अपनी पुत्री को अपनी समस्त चल अचल सम्पति से बेदखल करता हूं। आज के बाद मेरे पक्षकार से मेरी पुत्री पुष्पा का कोई लेना-देना संबंध शेष नहीं रहा गया है। अतः सूचित रहे।

किशनगढ

दिनांक : 17.04.2025

(महेन्द्र कुमार परसोया) एडवोकेट मो. 7568216994

समझाइश से मामला निबटा

अजमेर, (कासं)। एक वैवाहिक दंपति मोहित (बदला हुआ नाम) एवं परी (बदला हुआ नाम) का प्रकरण वर्ष 2021 में विवाह-विच्छेद का दर्ज किया गया। इनके एक पुत्री 5 वर्ष है। उनकी सुनवाई में लोक अदालत की भावना से न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय रामेश्वर प्रसाद चौधरी द्वारा समझाइश एवं अथक प्रयास से राजीनामा कराया गया। दोनों साथ रहने को राजी हुए एवं दंपति द्वारा आपस में एक-दुसरे को माला पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर प्रकरण का निस्तारण किया गया। इसमें सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महेन्द्र कुमार ढाबी एवं न्याय मित्र अंजली का भी सहयोग रहा।

पीएनबी के कर्मचारी ने की 6.45 लाख की हेराफेरी

- सीसीटीवी फुटेज से खुला राज

अजमेर, (कासं)।कोतवाली थाना क्षेत्र के कचहरी रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक शाखा में रुपए गबन का मामला सामने आया है। बैंक के डिप्टी मैनेजर केशव इंदौरिया ने बैंक कर्मचारी गजेंद्र सिंह राठौड़ पर 6 लाख 45 हजार 800 रुपये की हेराफेरी का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कोतवाली थाना पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार बैंक के डिप्टी मैनेजर केशव इंदौरिया ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि आरोपी गजेंद्र सिंह बैंक में नियमित रूप से नोटों की शॉर्टिंग के लिए आता जाता था और नोटों के बंडल तैयार करता था।

इसी दौरान उसने समय समय पर बंडलों में से नोट चुपचाप निकाल लिए। दिसंबर 2024 में जब बैंक की ओर से नोटों को आरबीआई जयपुर में जमा करवाया गया, तो वहां गिनती के दौरान 100, 200 और 500 के नोटों के बंडल में नोटों की संख्या कम पाई गई। आरबीआई से रिपोर्टिंग मिलने के बाद जब बैंक प्रबंधन ने मामले की आंतरिक जांच शुरू की, तो सीसीटीवी फुटेज में गजेंद्र सिंह को नोटों के बंडल से नोट निकालते हुए देखा गया।

इसकी जानकारी शाखा प्रबंधक राजीव जैन को दी गई। विभागीय जांच में गजेंद्र सिंह की ओर से धोखाधड़ी कर बैंक की नकदी में हेरफेर करने की पुष्टि हुई। डिप्टी मैनेजर इंदौरिया की शिकायत के आधार पर कोतवाली थाना पुलिस ने गजेंद्र सिंह राठौड़ के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है।

कार्यालय, नगर परिषद किशनगढ़, अजमेर (राजस्थान)

क्रमांक/नपकि/प्राअ/कृभूनि/2025/82 लोक सूचना दिनांक : 17.04.2025

आवेदक 1 श्योराम पुत्र श्री गोपी लाल निवासी गढ़ के पास कावरिया तहसील किशनगढ व श्रीमती सीता पत्नि श्री श्योजी निवासी नया गांव तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का औधोगिक प्रयोजनार्थ गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात

क्र.सं.	तहसील और जिले का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल
1	अजमेर	नया गांव	189	1.3834 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 17.04.2025 को जारी की गयी ।

प्राधिकृत अधिकारी, आयुक्त नगर परिषद किशनगढ़

कार्यालय नगर परिषद किशनगढ (अजमेर) राज.

क्रमांक: न.प.कि./PWC/BPAS-2326/2025/367 आम सूचना दिनांक: 16/4/2025

सर्व साधारण सूचित किया जाता है कि श्री संजय गोयल पुत्र श्री गोविन्द प्रसाद गोयल राजस्व ग्राम सावंतसर, खसरा संख्या 587, 588/2, 589/1, 590/1 के भूखण्ड सं.1 व 02 क्षेत्रफल 462.00 वर्गगज वर्धमान विहार बी मदनगंज किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान पर आवासीय निर्माण स्वीकृति चाहने हेतू आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त भूखण्ड की सीमाएं निम्नानुसार है -

पूर्व में-वर्धमान विहार के भूखण्ड — पश्चिम में-30 फीट चौडा रास्ता

उत्तर मे- 30 फीट का रास्ता — दक्षिण मे -खसरा भूखण्ड सं. 590/2 की भूमि

अतः उक्त प्रकरण में किसी भी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति/एतराज हो तो आपत्ति सूचना प्रकाशन के 07 दिवस के भीतर नगर परिषद कार्यालय में लिखित में आपत्ति पेश करे बाद मियाद किसी प्रकार की आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी।

प्रभारी (भवन निर्माण स्वीकृति) नगर परिषद, किशनगढ़

कार्यालय, नगर परिषद किशनगढ़, अजमेर (राजस्थान)

क्रमांक/नपकि/प्राअ/कृभूनि/2025/85 लोक सूचना दिनांक : 17.04.2025

आवेदक 1. श्री केमल पुत्री श्री जयराम 2. श्री कोयली पत्नि कज्जा 3. श्री जतन पुत्र जयराम 4 श्री नन्दू पुत्री कज्जा 5. श्री प्रभु पुत्र चन्द्रा 6. श्री रेखा पुत्री जयराम 7. श्री राधा पत्नि जयराम 8. श्री राधाकिशन पुत्र चन्द्रा 9. श्री गंगा पुत्री श्योचंद 10. श्री घिसि पत्नि कैलाश समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम जाटली तहसील अजमेर जिला अजमेर राजस्थान ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का औधोगिक प्रयोजनार्थ गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात

क्र.सं.	तहसील और जिले का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल
1	अजमेर	जाटली	1017 व 1018	0.6100 है व 1.3360 है कुल योग 1.9460 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 17.04.2025 को जारी की गयी ।

प्राधिकृत अधिकारी, आयुक्त नगर परिषद किशनगढ़

कार्यालय नगर परिषद किशनगढ (अजमेर) राज.

क्रमांक: न.प.कित/02/1047 आम सूचना दिनांक: 16/4/2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्व ग्राम मदनगंज के खसरा संख्या 616/1, 616/2, 620/1, 620/2 पर स्थित आवासीय (भूखण्ड संख्या बी-91क्षेत्रफल 138.89 वर्गगज) पर 1. श्रीमती बरखा देवी सोनी पत्नि श्री बद्री नारायण सोनी 2. बद्री नारायण सोनी पुत्र राधेश्याम सोनी ने आवेदन प्रस्तुत कर नाम हस्तान्तरण चाहा गया है। उक्त भूखण्ड की सीमाएं निम्नानुसार है : -

पूर्व में: भूखण्ड संख्या बी-90 — पश्चिम में : भूखण्ड संख्या बी-92

उत्तर में : 60 फीट चौडा रास्ता — दक्षिण में: भूखण्ड संख्या बी-88

अतः उक्त नाम हस्तान्तरण प्रकरण में किसी भी व्यक्ति / संस्था को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में इस कार्यालय में प्रस्तुत करे अन्यथा बाद मयाद किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

प्रभारी नगर परिषद, किशनगढ़

दोस्त ने सरकारी नौकरी का झांसा देकर ठगा

- महिला ने तीन के खिलाफ कराया मुकदमा दर्ज

अजमेर, (कासं)। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला ने अपने पति के दोस्त पत्नी सहित दो अन्य लोगों के खिलाफ सरकारी नौकरी का झांसा देकर धोखाधड़ी कर पचास हजार रुपए हड़पने का आरोप लगाते हुए कोर्ट के माध्यम से मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सिविल लाइन पुलिस से प्राप्त जाानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र में रहने वाली शिवानी जैन ने कोर्ट के माध्यम से थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, दर्ज रिपोर्ट में पीड़िता जैन ने बताया कि वर्ष 2021 में उसके पति का दोस्त आकाश अपनी पत्नी के साथ घर आया था, उन्होंने ने शिवानी को सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देकर पैसों की मांग की। उनकी बातों में आ गई और अपने दस्तावेज देते हुए नौकरी संबंधी कागजाद भी सौंप दिए।

पीड़िता जैन ने आरोप लगाया कि उसने अपनी ननद को भी विधवा कोटे में नौकरी दिलवाने के लिए कहा था। आरोपी ने व्हाट्सएप पर उसे चयन सूची भेजकर ननद के चयन की जानकारी दी और प्रमाण पत्र डाक से भेजे जाने का भरोसा दिलाया। इसी दौरान आरोपियों ने उससे 50 हजार रुपए की मांग की, जिस पर आरोपी को रकम दे दी। रकम लेने के बाद आरोपियों ने उनसे बातचीत बंद कर दी। पीड़िता द्वारा जब रुपयों की डिमांड की गई तो झूठे केस में फंसाने की धमकी देने लगे। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने महिला सहित तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कर मामले की जांच की जा रही है।

8 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट

अजमेर, (कासं)। बिजयनगर के बहुचर्चित ब्लैकमेल कांड मामले में पुलिस ने गुरुवार को विशेष न्यायालय संख्या एक में आठ आरोपियों के खिलाफ विस्तृत आरोप पत्र पेश किया। पुलिस द्वारा कोर्ट में 895 पेज का आरोप पत्र और 44 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई। विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेन्द्र परिहार ने बताया कि पुलिस ने अरफाज, रेहान, अमन उर्फ आमान, जावेद अलीए लुकमान, सोहेल मंसूरी, आरिफ और करीम के खिलाफ चार्ज शीट दाखिल की है। चार्जशीट के अनुसार आरोपियों ने नाबालिग छात्राओं का पीछा किया । उन्हें लालच देकर का ेपैड मोबाइल,महंगे कपड़े और उपहार दिए।

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर

मूल आवंटी/अन्तरिति द्वारा निष्पादित वसीयतनामें के आधार पर नियमन कर फ्री-होल्ड पट्टा जारी कराने हेतु आम सूचना का प्रारूप आम सूचना का प्रारूप

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि एक आवासीय भूखण्ड संख्या 04 जो अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के राजस्व ग्राम घूघरा तहसील जिला अजमेर के खसरा संख्या 886 (पुराना) 504 व 518 (नया) में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 220.00 वर्गगज अर्थात 1980.00 वर्गफुट है। के मूल आवंटी श्रीमती पदमा पत्नि श्री इन्द्रसेन जाति सिन्धी निवासी कृष्णा कन्हैया कॉलोनी, मलूसर रोड़, अजमेर की मृत्यु दिनांक 15/03/2025 को होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र आर्थिक एवं सांख्यिकी निर्देशालय कार्यालय, अजमेर द्वारा जारी किया जा चुका है, जिसका रजिस्ट्रीकरण संख्या 0811900100000100857/2025 दिनांक 17/03/2025 को जारी है। यह कि श्रीमती पदमा पत्नि श्री इन्द्रसेन जाति सिन्धी निवासी कृष्णा कन्हैया कॉलोनी, मलूसर रोड़, अजमेर ने श्रीमती कामनी छतवानी पत्नि श्री चन्द्रसेन छतवानी, जाति सिन्धी, निवासी 13, कृष्णा कन्हैया कॉलोनी, मलूसर रोड़, अजमेर के हक में एक वसीयतनामा दिनांक 23/03/2009 को निष्पादित किया एवम् अजमेर के नोटेरी पब्लिक श्री आर. एन भार्गव के यहा उनके रजिस्टर क्रमांक 618 दिनांक 09/04/2009 को रजिस्टर्ड किया गया। अपने अपंजीकृत वसीयतनामे के आधार पर श्रीमती कामनी छतवानी पत्नि श्री चन्द्रसेन छतवानी ने अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर कार्यालय में अपने भूखण्ड संख्या 04 को नियमन कराने हेतु आन-लाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूखण्ड का नियमन किये जाने के संबंध में किसी को आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 07 दिवस के भीतर अपनी आपत्ति अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर कार्यालय में दर्ज करावें। उक्त नियत अवधि के पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी व आवेदक के नाम नियमन की कार्यवाही कर दी जायेगी।

नियमन प्रभारी अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर

मूल आवंटी/अन्तरिति द्वारा निष्पादित वसीयतनामें के आधार पर नामान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की कोटडा योजना के आवसीय भूखण्ड संख्या 528, 344-A, 344-B क्षेत्रफल 84.44, 299, 299 प्रति वर्गगज के आवंटी/अन्तरिति देवी दयाल पुत्र ओकार मल निवासी वार्ड न 15 पीलीबंगा हनुमानगढ़ की मृत्यु दिनांक 2/1/2022 को होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र तथा वसीयतनामा (पंजीकृत) दिनांक 26/2/2019 संलग्न कर मृतक द्वारा निष्पादित वसीयतनामे के आधार पर नामान्तरण हेतु श्रीमती उमा जोशी पुत्री स्व. देवी दयाल पत्नि साहबराम निवासी वार्ड न 5 पक्का भादवा हनुमानगढ़ द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है उक्त नामान्तरण किये जाने के सबंध में किसी को आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर आपत्ति प्राधिकरण कार्यालय में दर्ज करावे उक्त नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी व आवेदकों के नाम नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी।

योजना प्रभारी अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर

नवीनीकरण कार्यों का शिलान्यास

अजमेर, (कासं)। अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए गुरुवार को वार्ड नं. 55 में 65 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क एवं पार्कों के नवीनीकरण कार्यो का विधिवत शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की विधायक अनिता भदेल रहीं, जिन्होंने क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर इन विकास कार्यों की आधारशिला रखी। विधायक भदेल ने जानकारी देते हुए बताया कि वार्ड 55 के अंतर्गत सेक्टर 1, 2 और 3 में पार्कों का सौंदर्यीकरण एवं विकास किया जाएगा, वहीं सेक्टर 1 और 2 में सड़कों के पुनर्निर्माण का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह समस्त कार्य 65 लाख रुपए की लागत से करवाए जा रहे हैं, जिससे क्षेत्रवासियों को मूलभूत सुविधाओं में व्यापक सुधार मिलेगा।

तीन जुड़वां शिशुओं को मिला एस.एन.सी.यू. उपचार से नवजीवन

- तीनों शिशुओं का जन्म के समय सामान्य से बहुत कम वजन मात्र 910 ग्राम, 930 गाम और 960 गाम था उनका जीवन खतरे में था।

नागौर । नागौर जिले के राजकीय जेएलएन अस्पताल की स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट (एस.एन.सी.यू.) में एक बार फिर नवजात शिशु चिकित्सा सेवा ने उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त की है। इस इकाई में उपचारत तीन गंभीर स्थिति के जुड़वा कम वजन के नवजात शिशुओं को नवजीवन प्राप्त हुआ है।

निदेशक आरसीएच डॉ. सुनीत सिंह राणावत ने बताया कि नागौर जिले के निजी अस्पताल में जन्मे इन तीन जुड़वा शिशुओं को गंभीर स्थिति में 11 फरवरी को नागौर के राजकीय जेएलएन अस्पताल की एसएनसीयू में भर्ती कर उपचार प्रारंभ किया गया। उन्होंने बताया कि तीनों शिशुओं का जन्म के समय सामान्य से बहुत कम वजन मात्र 910 ग्राम, 930 ग्राम और 960 ग्राम था और उनका जीवन खतरे में था। चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ की विशेष देखभाल, तकनीकी विशेषज्ञता और उच्चस्तरीय चिकित्सा उपकरणों के कारण आज तीनों सुरक्षित एवं स्वस्थ हैं। परियोजना निदेशक बाल स्वास्थ्य डॉ. प्रदीप चौधरी ने बताया कि शिशुओं के फेफड़ों की स्थिति को सुधारने में 'सर्फैक्टेंट' थैरेपी का उपयोग करते हुए निजी क्षेत्र में अत्यधिक महंगा रहने वाला यह उपचार एसएनसीयू इकाई में निशुल्क उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने बताया कि लगभग 67 दिन की सतत चिकित्सा, पोषण प्रबंधन, ऑक्सीजन सपोर्ट, संक्रमण नियंत्रण और माँ के दूध की निरंतर व्यवस्था के कारण अब तीनों बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर हो चुका है और उनका वजन सुरक्षित स्तर तक बढ़ चुका है। चिकित्सकों की देखरेख में अब वे पूरी तरह स्वस्थ हैं। उन्होंने बताया कि स्पेशल न्यूबोर्न केयर यूनिट राजकीय चिकित्सालयों में संचालित हैं ओर नवजात शिशुओं के लिए उच्च स्तरीय उपचार-देखभाल सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध करवा रही हैं।

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर

मूल आवंटी/अन्तरिति की मृत्यु पर उत्तराधिकारियों द्वारा निष्पादित पंजीकृत हक त्याग पत्र के आधार पर नियमन करने व फ्री-होल्ड पट्टा जारी कराने हेतु आम सूचना का प्रारूप

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि एक आवासीय भूखण्ड संख्या 03 जो अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के राजस्व ग्राम घूघरा के खसरा संख्या 886 पुराना 504 व 518 नया तहसील व जिला अजमेर में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 240.00 वर्गगज अर्थात 2160.00 वर्गफुट है के अन्तरिति श्री दयाल मेहरचन्दानी पुत्र स्व. श्री मूलचन्द मेहरचन्दानी, जाति सिन्धी, निवासी 388 / 7, धोबी मोहल्ला, अजमेर के हक में एक विक्रय पत्र दिनांक 20/12/2003 को निष्पादित किया एवम् उपपंजीयक कार्यालय अजमेर के यहा दिनांक 20/12/2003 को पंजीयन किया गया था, विक्रय पत्र के पश्चात श्री दयाल मेहरचन्दानी पुत्र स्व. श्री मूलचन्द मेहरचन्दानी की मृत्यु दिनांक 25 / 02 / 2008 को होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र व सजरा रिपोर्ट सलंग्न कर मृतक के वारिसानों क्रमशः 1- श्री सतीश कुमार मेहरचन्दानी पुत्र स्व. श्री दयाल मेहरचन्दानी, आयु करीबन 49 वर्ष, निवासी ए-230, गली नम्बर 02, माधव नगर, चोरसियावास रोड़, अजमेर 2- श्री जय कुमार मेहरचन्दानी पुत्र स्व. श्री दयाल मेहरचन्दानी, आयु करीबन 48 वर्ष, निवासी 3/61, हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, प्रताप नगर, उदयपुर के द्वारा अपने सहहिस्सेदार श्रीमती कविता मेहरचन्दानी पत्नि स्व. श्री दयाल मेहरचन्दानी, आयु करीबन 75 वर्ष, निवासी ए-230, गली नम्बर 02, माधव नगर, चोरसियावास रोड़, अजमेर के पक्ष में एक पंजीकृत हकत्याग पत्र दिनांक 07 / 08 /2023 को निष्पादित कर उपपंजीयन कार्यालय अजमेर (द्वितीय) के यहा दिनांक 07/08/ 2023 को पंजीयन कर पंजीयन हक त्याग पत्र के आधार पर नियमन करने व फी होल्ड पट्टा जारी करने हेतु अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

उक्त भूखण्ड को नियमन किये जाने के संबंध में किसी को आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 07 दिवस के भीतर आपत्ति अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर कार्यालय में दर्ज करावें । उक्त नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी व आवेदक के नाम उक्त भूखण्ड संख्या 03 को निमयन करने व फी - होल्ड पट्टा जारी करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

नियमन शाखा प्रभारी अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

खण्डन आम सूचना दिनांक 13.04.2025

दिनांक 13.04.2025 को समाचार पत्र दैनिक भास्कर जयपुर व अजमेर संस्करण में प्रकाशित आम सूचना (विधिक नोटिस) जो कि श्री राहुल अग्रवाल एडवोकेट द्वारा उनके पक्षकार श्री सुरेश शर्मा की ओर से आमजन के बाबत् प्रकाशित करवाई गई है, के खण्डन में मेरे पक्षकारगण श्री कैलाश सिंह रावत पुत्र श्री अर्जुन सिंह रावत निवासी मायापुरा, अजमेर एंव श्री राजेन्द्र सिंह रावत पुत्र श्री मानसिंह रावत निवासी मोतीसर, तह. पीसांगन जिला अजमेर की ओर से आमजन को सूचित किया जाता है कि मेरे उक्त पक्षकारगण द्वारा दिनांक 13.04.2025 को प्रकाशित आमसूचना में उल्लेखित आराजी को श्री संजय जैन पुत्र स्व. श्री कैलाशचन्द जैन से पूर्व में ही दिनांक 29.07.2024 को खरीद किये जाने का करार किया जाकर एक इकरारनामा निष्पादित करवा लिया गया है तथा श्री संजय जैन को आराजी विक्रय बाबत् रुपये 51,00,000/- की राशि बतौर साई-पेटे अदा की जा चुकी है। यह कि वर्तमान में उक्त श्री संजय जैन उसके द्वारा पूर्व में दिनांक 29.07.2024 को जरिये इकरारनामा मेरे पक्षकारगण को विक्रय की जा चुकी आराजी को पुनः विक्रय किये जाने पर आमदा है जिसका उसे कोई भी विधिक हक व अधिकार नहीं है। अतः इस आम सूचना के जरिये हर आम व खास व्यक्ति को सूचित किया जाता है कि श्री संजय जैन द्वारा ग्राम सूरजकुण्ड तह. पीसांगन जिला अजमेर की आराजी खाता सं. 311 नया 101 पुराना के खसरा सं. 1395 रकबा 0.2000 हैक्टेयर में निहित उसके 43/72 व 17/72 हिस्से को एंव खाता सं. 234 नया 225 पुराना के खसरा सं. 1394 रकबा 1.7800 हैक्टेयर की सम्पूर्ण भूमि के विक्रय का करार दिनांक 29.07.2024 को मेरे उक्त पक्षकारगण से किया जाकर साई पेटे 51,00,000/- रूपये की राशि प्राप्त की गई होने के कारण से उक्त श्री संजय जैन द्वारा उपरोक्त अंकित आराजी का पुनः बेचान मेरे पक्षकारगण के आराजी में निहित साम्पतिक अधिकारों के प्रति प्रारम्भ से ही अवैध व शून्य माना जावेगा। सो सूचित रहे।

भवदीय - गुमान कुमावत (एडवोकेट) मो. 8769160030

जल संरक्षण को बनाएंगे जन आंदोलन: मॉडल प्रोजेक्ट निखरेगा

- बीर तालाब-मंत्री सुरेश सिंह रावत बीर तालाब किया निरीक्षण
- अधिकारियों को दिए संरक्षण व सौंदर्यीकरण के निर्देश

अजमेर, (कासं)। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बीर में स्थित प्राचीन तालाब का निरीक्षण किया। उन्होंने तालाब की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करते हुए इसके संरक्षण, गहरीकरण, सफाई एवं सौंदर्यीकरण के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जल संरक्षण को जनआंदोलन बनाएंगे ताकि भविष्य में पानी की किल्लत का सामना न करना पड़े। मंत्री रावत के साथ विभागीय अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण उपस्थित रहे।

मॉडल प्रोजेक्ट के रूप में होगा विकसित : जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने निरीक्षण के दौरान घोषणा की कि ग्राम बीर स्थित तालाब को मॉडल प्रोजेक्ट के रूप में विकसित किया जाएगा।

इस परियोजना के तहत पारंपरिक जल प्रबंधन तकनीकों के साथ-साथ आधुनिक तकनीकों का भी समावेश किया जाएगा, जिससे जल स्तर स्थायी रूप से बढ़ाया जा सके। रावत ने कहा कि आने वाले समय में प्रदेशभर में ऐसे और कई मॉडल तालाब विकसित किए जाएंगे, जो जल संरक्षण की दिशा में प्रेरणादायक उदाहरण बनेंगे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि परियोजना की रूपरेखा जल्द तैयार कर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। रावत ने कहा कि जल ही जीवन है और इसका संरक्षण प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पारंपरिक जल स्त्रोतों के पुनर्जीवन के लिए योजना बना रही है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्राचीन तालाबों, बावडियों एवं अन्य जल संरचनाओं को पुनः सशक्त बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण को केवल सरकारी योजना तक सीमित नहीं रखा जाएगा बल्कि इसे जन आंदोलन का स्वरूप दिया जाएगा।

कार्यालय नगर परिषद, केकड़ी (राजस्थान)

Email ID – npkekri2011@gmail.com Ph:- (O) : 01467-220002, 220019 web site : www.urban.rajasthan.gov.in/ulbkekri

क्रमांक : न.प.के./2025–26/171 **आपत्ति आमन्त्रण सूचना** दिनांक : 09.4.2025

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि परिषद क्षेत्र में निम्न आवेदको द्वारा नगर परिषद केकड़ी में आनॅलाईन हस्तानान्तरण के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किये है। जिसमें किसी भी व्यक्ति/सज्जन/पड़ोसी को कोई आपत्ति हो, तो कार्यालय में 7 दिवस में लिखित में मय दस्तावेजों के प्रस्तुत करें अन्यथा बाद मियाद नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी। जिसमें किसी का कोई उजर मान्य नहीं होगा :–

क्र. सं.	आवेदक/पिता का नाम	आवेदित स्थल	नाप वर्गगज में	उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
1	श्री सावरिया माली पुत्र रोडू लाल माली	भू. सं. 29 विकास नगर द्वितिय, ब्यावर रोड	97.22	रास्ता 30'	प्लॉट सं. 42	फिल्ड	प्लॉट सं. 30
2	श्री आदित्य पारिक पुत्र चन्द्रप्रकाश पारीक	भू. सं. 14 न्यू नन्द नगर केकड़ी	133.33	रास्ता 30'	प्लॉट नं. 13	प्लॉट नं. 15	रास्ता 30'
3	श्रीमती राधा देवी पत्नी राधाकृष्ण	भू. सं. 36 श्री राम कल्याण कॉलोनी केकड़ी	133.33	प्लॉट नं. 35	आम रास्ता	प्लॉट नं 37	आम रास्ता

राज.संवाद/सी/25/886 आयुक्त